निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 कार्तिक 1931 (श0)

(सं0 पटना 574) पटना, शुक्रवार, 13 नवम्बर 2009

सं0 ग्रा.वि.8(थ)131/07(भाग-1)-9238

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

14 अक्तूबर 2009

विषयः- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार का अन्य विभागों के साथ समन्वय हेतु तैयार मार्गदर्शिका के आलोक में योजना के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त मार्ग निदेश ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम, बिहार का दिशा निदेश 2007 में आंशिक संशोधन करते हुए विभिन्न कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा ली जाने वाली योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्न अतिरिक्त मार्गनिदेश जारी किये जाते है:-

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा-2(6) में कार्यान्वयन एजेन्सी को इस प्रकार निरूपित किया गया है :-

> ''कार्यान्वयन में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई विभाग, कोई जिला परिषद् मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या कोई स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी उपक्रम या गैर सरकारी संगठन, जिसे किसी स्कीम के अधीन किए जाने वाले किसी कार्य का कार्यान्वयन करने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है, सम्मिलित है''

2. योजनाओं का प्रकार—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की अनुसूची-1 के खंड-1 यथा अद्यतन संशोधित में निम्न प्रकार की योजनाएँ ली जा सकती हैं ।

(i) जल संरक्षण और जल शस्य संचय;

(ii) सूखारोधी (जिसके अंतर्गत वनरोपण और वृक्षरोपण सम्मिलित है);

(iii) सिंचाई नहरें जिनके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म भी है;

(iv) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के परिवारों के स्वामित्वधीन या गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों या लघु या सीमान्त कृषकों की भूमि के लिए सिंचाई प्रसुविधा, बागवानी, बागान और भूमि विकास प्रसुविधा का उपबंध :

(v) पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण जिसके अंतर्गत तालाबों का शुद्विकरण भी है;

(vi) भूमि विकास;

(vii) बाढ़ नियंत्रण संरक्षण संकर्म, जिनके अंतर्गत जलरूद्व क्षेत्रों में जल निकास भी है;

(viii) सभी मौसमों में पहुंच पथ का उपबंध करने के लिए ग्रामीण संयोजकता; और

(ix) कोई अन्य कार्य, जिसे राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;

इस योजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों (जिसमें वनरोपित भूमि भी शामिल है) का रखरखाव भी योजना के तहत् अनुमान्य कार्यों में रखा जायगा । यह अन्य कार्यक्रमों के अधीन सृजित परिसंपत्तियॉं, जो उपर्युक्त कोटि में आती हैं, के रखरखाव पर भी लागू होगा।

उदाहरण के तौर पर विभिन्न विभागों के स्तर पर कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम बिहार के अन्तर्गत वर्तमान में अनुमान्य कार्यों के अनुरूप निम्न योजनाओं को पहचानित किया गया है :-

जल संसाधन/ लघु जल संसाधन :—

- जल संसाधन विभाग की नहरों, वितरणी, उप वितरणी एवं माईनरों आदि का जीर्णोद्धार, गहरा किया जाना, गाद निकालना तथा तिर्यक जल निकास (Cross Drainage Works) आदि का कार्य ।
- राज्य की विभिन्न कमान्ड एरिया विकास प्राधिकार (Command Area Development Authority) यथा काडा, स्काडा इत्यादि के विभिन्न सिंचाई संबंधी एवं अन्य विकासात्मक कार्य ।
- बड़े शहरों के नजदीक के ग्रामीण क्षेत्रों में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के वर्षा जल एवं बाढ़ से आने वाले जल की निकासी हेतु नालों का निर्माण ।
- दियारा क्षेत्र एवं टाल क्षेत्रों के पुनर्स्थापन (Restoration) एवं विकास कार्य ।
- चौर भूमि पुनर्स्थापन (Wet Land Restoration) कार्य ।
- ग्रामों एवं शहरों के बाहर के ग्रामीण क्षेत्रों के चारों ओर बाढ़ सुरक्षा हेतु घेरा (Ring) बांधो का निर्माण।
- जमीन्दारी बांधो का जीर्णोद्धार/विकास कार्य एवं वृक्ष रोपण का कार्य ।
- चेक डैम का निर्माण

पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग :—

- पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के सड़कों पर फलैंक, स्लोप तथा डिवाइडर पर वृक्ष रोपण /झाडी (Shrubs) रोपण कार्य ।
- पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों में होने वाले निर्माण कार्यों में अकुशल मजदूरी अंश का वहन नरेगा से किया जाना ।

वन विभाग—वन क्षेत्रों में विभिन्न कार्य यथा :-

(क) वनों में जल एवं मृदा संरक्षण संरचनाओं का निर्माण

(ख) अवकृष्ट खुले वनों में वनरोपण

(ग) वन के अधीन लिंक पथों का निर्माण

(घ) वन क्षेत्र में चेक डैम एवं सिंचाई संरचनाओं का निर्माण

कृषि विभाग—कृषि विभाग की वे योजनाएँ जो कृषि रोड मैप के अन्तर्गत हैं उन में कच्चे कार्य ।

3. योजनाओं का चयन :-

(क) विभिन्न कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा जिला के लिए चिन्हित किये गये कार्यों, जो राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी स्कीम, बिहार के तहत अनुमान्य कार्यों की श्रेणी में है, की सूची अनुमानित प्राक्कलन के साथ यथासम्भव प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करते हुए जिला पदाधिकारी –सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक को सौपी जायेगी ।

(ख) जिला पदाधिकारी –सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक अपने स्तर से उस योजना की सूची की मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुसार समीक्षा कर एवं यथा आवश्यक संशोधन संबंधित विभाग से करायेगे ।

(ग) तदोपरान्त जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा उक्त सूची को जिला परिषद के अनुमोदन हेतु उपस्थापित किया जायेगा ।

(घ) प्रशासनिक स्वीकृति विस्तृत प्राक्कलन तैयार किये जाने के पश्चात उसकी लागत के अनुरूप कार्यक्रम पदाधिकारी/उप-विकास आयुक्त/जिला पदाधिकारी/वरीय पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी ।

4. प्राक्कलन की तैयारी एवं अनुमोदन :-

(क) जिला परिषद से अनुमोदित कार्यो/ योजनाओं (सूची के अनुसार) का प्राक्कलन राज्य सरकार के शिडयूल ऑफ रेट के आधार पर स्थल निरीक्षण के उपरान्त तैयार किया जाएगा तथा इसकी तकनीकी स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सक्षमता के आधार पर सम्बद्ध पदाधिकारी द्वारा की जाएगी । चूँकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत होने वाले कार्यों में संवेदकों का सहयोग नहीं लिया जाना है, इसलिए प्राक्कलन में संवेदक लाभांश का कोई प्रावधान नहीं रखा जाना है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम के प्रावधानों के तहत मेट की व्यवस्था तथा कार्य स्थल पर की जाने वाली विशेष सुविधाओं पर होने वाले व्यय को भी प्राक्कलन में सम्मिलित किया जाए ।

(ख) प्राक्कलन के साथ दर विशलेषण के आधार पर निर्माण सामग्री एवं श्रम विवरणी अलग-अलग दर्शायी जाएगी । चूँकि अर्द्ध कुशल तथा कुशल मजदूरों पर होने वाले व्यय को सामग्री मद के अन्तर्गत रखा जा रहा है, अतः अर्द्ध-कुशल, कुशल तथा अकुशल मजदूरी को भी अलग-अलग दर्शाया जाए ।

(ग) संबंधित कार्य विभाग अपने-अपने जिला स्तरीय पदाधिकारियों से विभागीय रूप से कार्य संपादित कराने के लिए यथा आवश्यक निर्देश जारी करेगे ।

(घ) कार्यान्वयन अभिकरण अपनी योजनाओं में कम-से-कम 60 प्रतिशत तक व्यय अकुशल मजदूरी के लिए रखेंगे । यह गणना समेकित रूप से वार्षिक आधार पर की जाएगी। यदि किसी योजना में सामग्री का घटक 40 प्रतिशत से अधिक हो रहा हो तो भारत सरकार या राज्य सरकार के अन्य संबंधित योजना से उसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के अंतर्गत स्वीकार्य कार्यों या स्थायी संपदाओं के निर्माण

के लिए पंचायती राज संस्थानों को अन्य स्रोतों से मिले अनुदानों (जैसे, राष्ट्रीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग या राज्य सरकार के विभागों से मिले अनुदान), अन्य केन्द्रीय अथवा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर.एस.वी.आई), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान आदि के साथ जोड़ कर भी खर्च किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के तहत प्राप्त अनुदान को विभिन्न विभागों या निकायों के तहत चलने वाली योजनाओं को लागू करने के लिए खर्च नहीं किया जायेगा। अन्य कार्यक्रम के लिए मिले पैसे को तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के तहत स्वीकार्य कामों पर खर्च किया जा सकता है लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के पैसे को किसी और योजना पर खर्च नहीं किया जा सकता। परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करते हुए इन आयामों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

5. कार्यों/योजनाओं का कार्यान्वयन एवं नोडल पदाधिकारी :-

(क) संबंधित लाईन विभाग के जिला/अनुमंडल/प्रखंड/कनीय स्तर के पदाधिकारी ही योजनाओं का कार्यान्वयन करेगे। प्रत्येक कार्यान्वयन अभिकरण प्रत्येक प्रखंड, जहां कार्य किया जाने वाला है, वहां एक नोडल पदाधिकारी नामित करेंगे। नोडल पदाधिकारी का दायित्व संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार से समन्वय करना होगा।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार एक मांग आधारित योजना है। अतः, पंचायत/कार्यक्रम पदाधिकारी से काम की मांग किये जाने पर कार्यक्रम पदाधिकारी Shelf of Projects में शामिल योजनाओं में कार्य प्रारंभ करने का निदेश नोडल पदाधिकारी, कार्यान्वयन अभिकरण को दे सकेंगे।

(ग) कार्य प्रारंभ करने के पूर्व नोडल पदाधिकारी प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी से सम्पर्क कर आवश्यक संख्या में मस्टर रौल प्राप्त करेगे। मस्टर रौल विशेष पहचान संख्या के साथ होंगे तथा कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा सत्यापित होगे। मस्टर रौल का संधारण हर-हाल में कार्य स्थल पर किया जायेगा।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत जॉब कार्डधारियों द्वारा ही इस योजना के अंतर्गत कार्य किया जायेगा। तदनुसार अकुशल मजदूरों की सूची कार्यान्वयन अभिकरण को उपलब्ध करा दी जायेगी।

(ड़.) मेट का उत्तरदायित्व—कार्यों के पर्यवेक्षण तथा कार्य स्थल पर उपस्थिति दर्ज करने के लिए प्रत्येक कार्य/योजना में एक मेट का चयन किया जायेगा। मेट एवं मजदूरों का अनुपात 1:50 रखा जायेगा।

(च) कार्य स्थल पर व्यवस्था—कार्य स्थल पर निम्नांकित सुबिधाएँ निश्चित रूप से दी जायेगी:-

(क) छाया की सुविधा,

(ख) मजदूरों के बच्चों के देख-भाल के लिए किसी मजदूर को चिन्हित करना,

(ग) पानी पिलाने की सुविधा,

(घ) प्राथमिक उपचार की सुविधा।

(ड.) प्रत्येक कार्य स्थल पर सूचना पट का संधारण किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित को अवश्य दर्शाये जायेगे :-

(*i*) कार्य का स्थल एवं नाम,

(*ii*) कार्य की लंबाई-चौडाई एवं प्रमुख बिन्दु,

(*iii*) कार्य की लागत- (*i*) सामग्री घटक (*ii*) मजदूरी घटक

(छ) कार्यों की मापी कर मापी पुस्तिका में संधारण विभागीय कनीय अभियंता द्वारा किया जायेगा,

(ज) सडक निर्माण/चौडीकरण से संबंधित कार्य तभी प्रारंभ किये जाय जब इसके लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध हो क्योंकि भूमि अर्जन की व्यवस्था इस योजना में नहीं है,

(झ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के कार्यों के लिए कार्यपालक अभियंता/जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा एक अलग पंजी का संधारण किया जाना चाहिए ।

6. भुगतान की प्रक्रिया :-

(क) जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा विभिन्न कार्यकारी अभिकरण को राशि उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यकारी अभिकरण द्वारा राशि लोक उपक्रमों के बैंकों में खाता खोलकर राशि जमा की जायेगी । यदि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगरी स्कीम के तहत राशि को पोस्ट ऑफिस में रखने की स्वीकृति दी जाती है तो तदनुसार पोस्ट ऑफिस में भी राशि रखी जायेगी ।

(ख) कार्य करने वाले जॉब कार्डधारियों को मजदूरी का नगद भुगतान किसी भी हालत में नहीं किया जायेगा बल्कि यह उनके बैंक/ पोस्ट ऑफिस के खातों से ही किया जायेगा ।

(ग) काफी बडी संख्या में जॉब कार्डधारियों के खाते पूर्व में खुलवाये जा चुके है तथा वर्तमान में भी इसके लिए अभियान चल रहा है एवं कार्यान्वयन अभिकरण के पदाधिकारियों का दायित्व होगा कि वे कार्यक्रम पदाधिकारी से जॉब कार्डधारियों के नामो की सूची के साथ उनके खातों की सूची प्राप्त कर लें ।

(घ) यदि कार्य स्थल की दूरी 5 कि0मी0 अधिक हो ऐसी स्थिति में 10% अधिक मजदूरी का भुगतान किया जायेगा । यदि मजदूरी में इस वृद्वि के कारण प्राक्कलन की राशि में वृद्वि होती है तो इसके लिए अलग से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(ङ) किये गये कार्य की मापी के अनुरूप जॉब कार्डधारियों के समूह को कार्य के एक सप्ताह के अंदर समेकित भुगतानादेश के द्वारा संबंधित बैंक/ पोस्ट ऑफिस शाखा को एडवाइस (Advice)भेजी जायेगी ।

(च) भुगतान कार्य के एक सप्ताह के अंदर हो जाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में 15 दिन से अधिक समय नहीं लगना चाहिए ।

(छ) भुगतानादेश यथासंभव कम्प्यूटर से निकाला जाए और इसके लिए प्रखंड सूचना विज्ञान केन्द्र का सहयोग लिया जाए ।

7. प्रशासनिक व्यय—कार्यान्वयन अभिकरण योजनाओं के कार्यान्वयन लागत के 3 प्रतिशत तक का उपयोग प्रशासनिक व्यय में कर सकती है, जिसमें स्टेशनरी, कम्प्यूटर, विशेष रूप से लगाये गये कार्मिकों आदि पर होने वाला व्यय शामिल है । इसके लिए अलग से यथा आवश्यक आवंटन देय होगा ।

8. निगरानी एवं गुणवत्ता का नियंत्रण—प्रत्येक कार्य विभाग के अधीन गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य करने वाले प्रमंडल इस प्रकार के कार्यों में भी प्रयुक्त होंगे । गुणवत्ता बनाये रखने की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित विभाग की ही होगी । यह श्रेयस्कर होगा कि विविध सामग्रियों पर भुगतान के पूर्व नियमावली के आलोक में गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल/शाखा के अनुमोदन के पश्चात भुगतान किया जाय ।

9. सामाजिक अंकेक्षण—प्रत्येक योजना का भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना में निहित प्रावधान के आलोक में सामाजिक अंकेक्षण कराना अनिवार्य होगा ।

10. मासिक प्रगति प्रतिवेदन—प्रत्येक कार्यान्वयन अधिकरण द्वारा ली गई योजनाओं का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में प्रत्येक माह जिला पदाधिकारी –सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक/ कार्यक्रम पदाधिकारी को समर्पित करना अनिवार्य होगा । प्रत्येक कार्यान्वयन अधिकरण अपने प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/ सचिव को प्रत्येक माह अपने लक्ष्य के अनुसार जिला पदाधिकारी –सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक को सम्पन्न योजनाओं की संख्या का ब्योरा, जिला परिषद द्वारा प्रतिमाह अनुमोदित योजनाओं का ब्यौरा, जिला समन्वयक द्वारा उनको आवंटित की गई राशि तथा व्यय की गई राशि का ब्यौरा विहित प्रपत्र में समर्पित करेगा । प्रत्येक संबंधित विभाग इन प्रावधानों के आधार पर एक समेकित प्रतिवेदन प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को भेजेगा ।

11. उपर्युक्त प्रावधानों की प्राथमिकता—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम- 2006 (यथा संशोधित), उसके अंतर्गत बने नियमावली तथा तत्संबंधी निदेश के अनुसार ही उपर्युक्त योजनाओं का संचालन किया जाएगा । इस संदर्भ में राज्य सरकार की कार्य संहिता/निदेश (यथा विभागीय तौर पर कार्य संचालित किया जाना, बैंको में राशिरखा जाना) उपर्युक्त प्रावधानों को संगत नहीं रहने के बावजूद भी उस हद तक बाधक नहीं होंगे ।

12. कार्यान्वयन मार्गनिदेश 2008 (Operational Guidelines 2008)—इस योजना के संबंध में योजना उद्देश्य, प्लानिंग, जॉब कार्ड संबंधी तथ्य, योजनाओं के कार्यान्वयन, मजदूरी भुगतान, लेबर बजट, अभिलेख संधारण, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन, सूचना का अधिकार, पारदर्शिता तथा जवाबदेही, जन निगरानी तथा सामाजिक अंकेक्षण आदि बिदुओं पर किसी भी संशय के समाधान हेतु भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन मार्ग निदेश 2008 (Operational Guidelines 2008 तृतीय संस्करण) तथा पूर्व में जारी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम, बिहार का दिशा निदेश 2007 का संदर्भ किया जा सकता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 574-571+300-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in